संशोधित

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या– 0145–2429796 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–एफ14( )एफसीए / उवसं / 2022–23 / 1541 दिनांक :– 21/2/23

निमित्त,

अधिशाषी अभियंता,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
टोडरमल मार्ग, सिविल लाईन्स
अजमेर, जिला अजमेर।

विषयः– Diversion of 1.789 hectare forest land for Widening of road snd construction of divider from Sr. school Lohagal to police chowki Shastri Nagar Ajmer, District Ajmer Rajasthan. Forest Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980.Proposal No FP/RJ/ROAD/42702/2019

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र संख्या 8बी–राज052 / 2022–जयपुर दिनांक 24.11.2022, उच्च कार्यालय के पत्रांक 695-96 दिनांक 21.02.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख हैं कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र संख्या 8बी–राज052 / 2022–जयपुर दिनांक 24.11.2022 से प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है । इस क्रम उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग–अलग पांच प्रतियों में मय सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भिजवावें एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा करावें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्याल्य जयपुर के पत्र संख्या 8बी–राज052 / 2022–जयपुर दिनांक 24.11.2022 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 के अनुसार नवीन एन पी वी राशि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त बिन्दु संख्या ए 1 अनुसार The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, decomarcation and erection of permanent pillars by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.789 हैक्टर गैर क्षेत्र पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरो को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online submission & Monitoring of Forest & Wildlife clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करानी है। श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के द्वारा अनुमादित प्राक्कलन 1.789 हैक्टर गैर वन पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव करने हेतु राशि वर्तमान श्रमिक दर 259–/को समायोजित करते हुए 2238511/–रूपये है।	2238511/-	कुल राशि रू. 3951980/– को OSMFWCP द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा कराई जावे।
2	शर्त बिन्दु संख्या ए 2 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटिशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफसी दि.05.02.2009 तथा पत्र 12–2 / 2010–कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 द्वारा जारी नवीनतम (एनपीवी) दरे अनुसार एनपीवी राशि को समायोजित करते हुए डिमांड राशि निम्नानुसार हैः–1.789 ha. x 957780 = 1713469/-	1713469/-	
	क्र.सं. 1 व 2 का योग राशि	3951980.00	

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओ की पालना मय अण्डरटेकिंग प्रेषित की जाये। साथ ही प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति भी पालना के साथ चार प्रति मे प्रस्तुत करे। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

भवदीय,

(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
अजमेर

दिनांकः–

क्रमांक :–सम /

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. जिला कलक्टर अजमेर।

उप वन सरंक्षक
अजमेर

D:\